राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2980/2015

महावीर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, बीकानेर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वैलफेयर, राज. जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी 15.9.1971 से 31.1.1991 तक सेना में सुबेदार के पद पर कार्यरत था और उसे आदेश दिनांक 28.01.1992 के द्वारा वेतन श्रृंखला 910–1520 में वेलफेयर ऑरगनाईजर के पद पर नियुक्त किया गया। अपीलार्थी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31 जुलाई, 2013 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो गया। अपीलार्थी को वर्ष 2001 से 9 वर्षीय चयनित वेतनमान व दिनांक 29.1.2010 से 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी को नवीन वेतनमान 1998 जो कि दिनांक 01.09.1996 से लागू हुआ, में अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 2950–4475 में दिनांक 29.1.1996 को रूपये 1350/– मूल वेतन प्राप्त कर रहा था जैसाकि कार्यालय आदेश क्रमांक 2372–74 दिनांक 24.2.1997 से स्पष्ट है। उक्त आदेश निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया गया। अपीलार्थी का वेतन नवीन वेतनमान 1998 में वेतन स्थिरीकरण 01.09.1996 को 2950 रूपये पर किया गया। निदेशक सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.1997 जिसमें अपीलार्थी का वेतन 29.1.1996 को 1350 दर्शाया गया है। उक्त वेतन स्थिरीकरण को सहायक सैनिक कल्याण विभाग जयपुर ने पुनः संशोधित किया और अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 2950–4475 में दिनांक 1.9.1996 को 3100/– पर उसका वेतन निर्धारण किया गया जबकि नियमानुसार उसका पूर्व मूल वेतन 1350 रूपये को ध्यान में रखते हुए वेतन स्थिरीकरण किया जाना चाहिए था लेकिन अनुचित रूप से

अपीलार्थी को 01.09.1996 को नवीन वेतनमान 1998 में 3100/– रूपये पर वेतन निर्धारण किया गया जो कि प्रारम्भ से ही अनुचित अवैध व नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 01.09.1996 से 3100/– रूपये पर वेतन स्थिरीकरण किया गया। इसका इन्द्राज अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में अंकित किया गया। अपीलार्थी को अनुचित रूप से 01.09.1996 को 3100/– रूपये मूल वेतन पर वेतन स्थिरीकरण किया गया जबकि नियमानुसार उसको पूर्व में वेतन श्रृंखला 910–1520 में यह जो 29.1.1996 को 1350 रूपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा था उसका कोस्पोडिंग वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण किया जाना चाहिए था। नवीन वेतनमान 1998 की वेतन श्रृंखला 2950–4475 में 1350/– रूपये की जो कोस्ट पोडिंग वेतन है वह 4155 रूपये है जो नियमानुसार अपीलार्थी को 01.09.1996 को 4155 रूपये पर वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए था जबकि विभाग द्वारा अनुचित रूप से 3100/– रूपये वेतन निर्धारण किया गया, जिससे उसे नियमित रूप से वेतन कम प्राप्त हुआ और अब सेवानिवृति के पश्चात नियमित रूप से कम पेंशन प्राप्त हो रही है इस प्रकार अपीलार्थी का दिन प्रतिदिन वाद मूल उत्पन्न हो रहा है। अपीलार्थी 1350 रूपये वेतन के आधा पर 4155/– रूपये नवीन वेतनमान 1998 में मूल वेतन में 3100/– के स्था पर 4155/– रूपये वेतन निर्धारण का अधिकारी है। नवीन वेतनतान में वे श्रृंखला 2950–4475 रूपये 1350/– जो कि कोस्पोंडिंग 4155 रूपये है कि पुनरीक्षित वेतनमान 1998 की टेबल नम्बर 5 से स्पष्ट है।

2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

(i) अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को नवीन वेतनमान 1998 जो 1.9.1996 से लागू हुआ है, में वेतन श्रृंख्ला 2950–4475 जो उसे 1.9.1996 को 3100 रूपये वेतन निर्धारण किया गया है उसके स्थान पर उसका वेतन 29.1.1996 को उसका वेतन 1350 होने के आधापर नवीन वेतनमान 1998 के 1350 कोस्पोडिंग पे 4155 पर वेतन निर्धारण किया जाय और अपीलार्थी को ऐरियर राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाया जाय।

(ii) यह कि अपीलार्थी को उसी अनुरूप 9,18 वर्षीय चयनित वेतनमान जो पूर्व में दिया गया है उसे संशोधित किया जाय और नवीन वेतनमान 2008 जो 1.1.2006 से लागू हुआ है उसमें अपीलार्थी का पुनः वेतन स्थिरीकरण किया जाय और ऐरियर राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाय।

अपीलार्थी को सेवानिवृति के पश्चात जो पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ जारी किया गया है वह उपरोक्त वर्णित समस्त लाभ दिये जाने के पश्चात जो अंतिम वेतन निर्धारण हो उसके आधार पर पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ को संशोधित किया जाय और जो ऐरियर राशि हो उस पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा किया जाय। खर्चा अपील दिलवाई जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, जयपुर के आदेश दिनांक 28–1–92 द्वारा को कल्याण संगठक के पद पर वेतनमान 910–1520 में नियुक्ति दी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 29–1–92 को कार्यग्रहण किया तथा इसी अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गयी। अपीलार्थी की कार्यग्रहण दिनांक 29–1–1992 से वेतनमान 910–1520 में राशि रूपये 910/– पर वेतनमान निर्धारित किया गया, जिसमें सैन्य सेवा की पेंशन पर महंगाई भत्ता देय था। तत्पश्चात् निदेशालय के पत्र दिनांक 13–11–1995 द्वारा राय चाही गयी। जिसके क्रम में वित्त विभाग के पत्र दिनांक 11–12–1995 द्वारा प्राप्त राय की पालना में निदेशालय के आदेश दिनांक 24–2–1997 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 29–1–1992 से वेतनमान 910–1520 में Pay minus Pension की पालना में रूपये मूल वेतन रूपये 1091/– निर्धारण किया गया एवं दिनांक 29–1–1992 से अपीलार्थी की सैन्य सेवा की पेंशन पर मंहगाई भत्ता बन्द कर दिया गया, जो दिनांक 29–1–1996 को रूपये 1350/– हुआ। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 20–9–2000 से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर अपीलार्थी से जो उसके लिये लाभकारी हो, के अनुसार विकल्प पत्र प्राप्त कर कार्य दिनांक 29–1–1992 से वेतन श्रृंखला 910–1520 में नोशनल आधार पर पुनः वेतन निर्धारण किया गया तथा अपीलार्थी को सैन्य सेवा की पेंशन पर महगाई भत्ता करने का अधिकार दिया गया । अपीलार्थी से प्राप्त विकल्प के अनुसार वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 29–1–1996 को उसका मूल वेतन 990/– था, को वेतनमान 1998 में दिनांक 1–9–1996 से वेतन निर्धारण रुपये 3100/– निर्धारित किया गया तथा उस पर ही चयनित वेतनमान तथा तत्पश्चात् दिनांक 1–9–2006 से वेतनमान 5200–20200 में वेतन स्थिरीकरण किया गया। दिनांक 1–9–1996 से वेतन निर्धारण रूपये 4155/– के स्थान पर राशि रूपये 3100/– वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन पत्र दिनांक 20–9–2000 की पालना में अपीलार्थी से विकल्प पत्र प्राप्त कर तथा सैन्य की पेशन पर मंहगाई राहत पाने की शर्त पर किया गया था, जो कि

नियमानुसार सही है। श्री गणेश सिंह ने वित्त विभाग के ज्ञापन पत्र दिनांक 20–9–2000 की पालना में विकल्प पत्र नहीं दिया था तथा उसने सैन्य सेवा के मूल वेतन के आधार पर नियत किया गया वेतन (Pay minus Pension) के आधार पर ही वेतन नियतन करवाया है, जिसमें सैन्य सेवा की पैंशन पर मंहगाई भत्ता देय नहीं है, जबकि अपीलार्थी ने राज्य सरकार की वेतन श्रृंखला में उक्त ज्ञापन की पालना में वेतन नियतन का विकल्प दिया है, जिसमें सैन्य सेवा की पैंशन पर मंहगाई भत्ता देय है एवं अपीलार्थी ने सैन्य सेवा की पैंशन पर मंहगाई भत्ता प्राप्त किया है। अपीलार्थी को नियमानुसार परिलाभ दिये जाने के उपरान्त अपील में वर्णित अनुतोष भी शेष रहता है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन व आधारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी सेवानिवृत्त कार्मिक है, जिसे दिनांक 29.01.1992 से वेलफेयर ऑरगेनाईजर के पद पर पदस्थापन किया गया। राजस्थान सरकार सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान राज्य जयपुर द्वारा जारी पत्र दिनांक 24.02.1997, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनुलग्नक–आर–3 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार अपीलार्थी का दिनांक 29.01.1992 को अर्थात् नियुक्ति की तिथि को वेतन 1091/– रुपये निर्धारित किया गया। दिनांक 01.04.1993 से वेतन 1291/– निर्धारित किया गया। उक्त पत्र दिनांक 24.02.1997 में वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर वेतन निम्न प्रकार से रखा गया :–

वार्षिक वेतन वृद्धियां	**स्वीकृत करने पर वेतन**
दिनांक 29.01.1994	1300+16 पीपी
दिनांक 29.01.1995	1325
दिनांक 29.01.1996	1350

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान सरकार सैनिक कल्याण विभाग द्वारा दिया गया उक्त आदेश दिनांक 24.02.1997 में जब दिनांक 29.01.1996 को अपीलार्थी का वेतन 1350/– रुपये रखा गया था तो पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में वेतन नियतन किये जाने के समय अपीलार्थी का मूल वेतन 1350/– के स्थान पर 990 /– दर्शाया गया, जो उचित नहीं है।

6. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में जब पूर्व में राजस्थान सरकार सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 24.02.1997 (अनुलग्नक–आर/3) द्वारा दिनांक 29.01.1996 को वेतन 1350/– स्वीकृत हो चुका था तो पुनरीक्षित वेतनमान–1996 में उसका

कोरेसपोडिंग वेतन 4155/– नियत किया जाना था, जबकि वेतन केवल 3100/– नियत किया गया था, जो उचित नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा जब पूर्व में पत्र दिनांक 24.02.1997 के द्वारा दिनांक 29.01.1996 को वेतन 1350/– को निर्धारित कर चुका है तो दिनांक 29.01.1996 के बाद में 990/– रुपये माना जाना उचित नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी को मूल वेतन 990/– रुपये मानते हुए नये वेतनमान नियम–1996 में 3100/– रुपये करना उचित नहीं है।

7. अपीलार्थी दिनांक 29.01.1996 को मूल वेतन 1350/– रुपये माना जाना उचित है। इसके आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान नियम अपीलार्थी कोरोसपोंडिंग पुनरीक्षित वेतन 4155/–रुपये निर्धारित करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी का नवीन वेतन जो पुनरीक्षित वेतनमान, 1998 में 4155/– निर्धारित कर अपीलार्थी को समस्त लाभ प्रदान किये जावें। अपीलार्थी को एरियर की राशि का भुगतान 3 माह में किया जावे एवं एरियर राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज का भुगतान भी अपीलार्थी को प्रदान किया जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)